

# आईएफसीआई लिमिटेड

## निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पॉलिसी

2014-15

निदेशकों की सीएसआर समिति द्वारा प्रस्तावित

26.05.2014

आईएफसीआई के बोर्ड के अनुमोदन के लिए आईएफसीआई लिमिटेड की निगमित सामाजिक दायित्व समिति द्वारा प्रस्तावित निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी का सारांश । किसी नए अनुपालन की आवश्यकता होने पर या आईएफसीआई के बोर्ड द्वारा अपेक्षित होने पर पॉलिसी को अद्यतन या संशोधित किया जा सकता है ।

## 1. भूमिका

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है जिसके द्वारा कोई संगठन सामान्य हित के लिए अपने हिस्सेदारों के बारे में सोचता है और उनके साथ अपने सम्बन्धों को विकसित करता है तथा इस सम्बन्ध में उपयुक्त रूप से तथा सोच समझ कर लक्षित क्रियाकलापों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार कम्पनियां केवल अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ऐसे क्रियाकलाप करने में अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करती अपितु वे कम्पनी के परिचालनों और विकास के साथ आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक उद्देश्यों का एकीकरण करने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व का उपयोग करती है।

निगमित कार्य मंत्रालय ने कम्पनी अधिनियम, 2013 में धारा 135 और अनुसूची VII के साथ कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी) नियमावली, 2014 को अधिसूचित किया है, जो 01 अप्रैल, 2014 से लागू हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में आईएफसीआई की सीएसआर पॉलिसी बनाई गई है तथा सीएसआर नियमावली, 2014 के अधीन अधिसूचित की गई है। यह सीएसआर पॉलिसी आईएफसीआई लिमिटेड के सीएसआर से सम्बन्धित सभी क्रियाकलापों के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी।

## 2. दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

### 2.1 दृष्टिकोण

भारत के विकास में एक मुख्य सहयोगी के रूप में मानव पूंजी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थकारी परिवेश बनाने के लिए लगातार विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए सहयोग देना।

### 2.2 उद्देश्य

आईएफसीआई सीएसआर पॉलिसी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. मानव पूंजी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्रियाकलापों के लिए सहयोग देना जिससे लोगों के जीवन स्तर में और उनकी खुशहाली में वृद्धि हो।
2. स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ पर्यावरण बनाने के लिए ऐसे क्रियाकलापों में सहयोग देना तथा जिनसे आईएफसीआई की सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में छवि बन सके।

## 3. वित्तीय संसाधन

प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से आईएफसीआई सीएसआर तथा उस वर्ष के निरन्तर क्रियाकलापों/परियोजनाओं के लिए बजट आबंटित करेगी। यह बजट आबंटन कम्पनी के तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित निवल औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत होगा। इस उद्देश्य के लिए औसत निवल लाभ का परिकलन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। निवल लाभ में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा:


- क) कम्पनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं द्वारा अर्जित कोई लाभ चाहे इसे अलग कम्पनी के रूप में और अन्यथा
- ख) भारत में अन्य कम्पनियों से प्राप्त कोई लाभांश जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबन्धों के अधीन शामिल हों या उसके अनुपालन में हों ।

बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के निवल लाभ जिसके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनः परिकलन करना अपेक्षित नहीं होगा ।

सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत अधिशेष राशि आईएफसीआई लिमिटेड के कारोबारी लाभ का हिस्सा नहीं होगी । सीएसआर व्यय में, निकाय निधि में अंशदान और इसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों से सम्बन्धित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के सभी व्यय शामिल हैं परंतु ऐसी मदों पर किए गए कोई व्यय शामिल नहीं होंगे जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप न हों और इसके दायरे में न आते हों ।

#### 4. संचालन संरचना

इसके लिए प्रस्तावित संचालन संरचना नीचे दी गई है:



##### 4.1 बोर्ड की भूमिका

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में आईएफसीआई बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:

- क) निगमित सामाजिक दायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, आईएफसीआई के लिए निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी का अनुमोदन करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में ऐसी पॉलिसी की विषय-वस्तु प्रकट करेगा और इसे कम्पनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, जो भी तरीका निर्धारित किया जाए, से डालेगा ।

- ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आईएफसीआई की निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी में शामिल किए गए क्रियाकलाप कम्पनी द्वारा ही किया जाएगा ।
- ग) आईएफसीआई का बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी अपनी निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम्पनी के तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित निवल औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करेगा परंतु निगमित सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के लिए अलग से रखी गई राशि को खर्च करने के लिए कम्पनी स्थानीय क्षेत्र तथा जहां कम्पनी कार्यरत है इसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा ।
- घ) यदि कम्पनी इस राशि को खर्च करने में असफल रहती है तो बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (ओ) के अधीन बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों का विशेष रूप से उल्लेख करेगा ।

#### 4.2 सीएसआर समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में आईएफसीआई बोर्ड की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जिसमें तीन या उससे अधिक निदेशक शामिल होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतन्त्र निदेशक होगा ।

निगमित सामाजिक दायित्व समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- क) निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी तैयार करेगी और इसे बोर्ड को सिफारिश के लिए भेजगी, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कम्पनी द्वारा यथानिर्दिष्ट क्रियाकलापों का उल्लेख किया जाएगा ।
- ख) ऊपर खण्ड (क) में संदर्भित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्ययों की राशि की सिफारिश करेगी; और
- ग) कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी का समय-समय पर अनुवर्तन करेगी ।

#### 4.3 सीएसआर विभाग

सीएसआर समिति के सहयोग के लिए आईएफसीआई सीएसआर विभाग का गठन करेगा । विभाग की भूमिका तथा संरचना का निर्धारण एवं उसमें परिवर्तन सीएसआर समिति या निदेशक बोर्ड द्वारा समय समय पर किया जा सकता है । सीएसआर विभाग का संचालन एक कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जाएगा । कार्य समन्वय में पदनामित नोडल अधिकारी की सहायता के लिए अधिकारियों की एक टीम होगी जो किसी भी प्रकार सीएसआर के महत्व को कम नहीं करेगी और इसके लिए निरन्तर कार्यरत रहेगी, जिसके लिए सभी विभागों के समग्र पर्यवेक्षक स्टाफ लगातार शामिल रहेंगे ।

पदनामित नोडल अधिकारी सीएसआर समिति को सीएसआर के कार्यान्वयन तथा निरन्तर क्रियाकलाप में प्रगति के सम्बन्ध में नियमित रूप से रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट निदेशक बोर्ड को उनकी सूचना, विचार एवं आवश्यक निदेशों के लिए आवधिक रूप से प्रस्तुत करेगी । सीएसआर समिति द्वारा निदेशक बोर्ड को रिपोर्टें भेजने की अवधि का निर्धारण सीएसआर समिति द्वारा किया जाएगा ।

#### 5. योजना व कार्य-नीति

कम्पनी कारोबार योजनाओं और कार्य-नीतियों के साथ अपने सीएसआर कार्यों और चल रही योजनाओं को एकीकृत करने का

प्रयास करेगी ।, किसी दीर्घावधि सीएसआर कार्यों और चल रही योजनाओं को, सरल कार्यान्वयन के लिए, मध्यम अवधि व अल्पावधि योजनाओं में बांट सकती है । प्रत्येक योजना में प्रत्येक वर्ष में किए जाने वाले सीएसआर कार्यों और निरन्तर किए जा रहे क्रियाकलापों का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा और इस कार्य को कर रहे पदनामित प्राधिकारियों के दायित्वों को परिभाषित किया जाएगा और यह भी निर्धारित किया जाएगा कि इन क्रियाकलापों के संभावित परिणाम क्या होंगे और इनसे समाज/सामाजिक परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

आईएफसीआई सीएसआर पॉलिसी की योजना व निष्पादन को निम्नलिखित मुख्य क्रियाकलापों में बांटा जा सकता है जो नीचे दिए गए डायग्राम में दर्शाए गए हैं -



### 5.1 सीएसआर क्रियाकलापों का क्षेत्र

आईएफसीआई की यथानिर्दिष्ट सीएसआर पॉलिसी के अनुसार आईएफसीआई द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप, परियोजनाएं या कार्यक्रम या क्रियाकलाप (चाहे नए या चालू) किए जाएंगे, जिनमें इसके सामान्य कारोबार के अनुसार किए जाने वाले क्रियाकलाप शामिल नहीं होंगे ।

सीएसआर क्रियाकलाप या तो आईएफसीआई द्वारा इसकी पात्र सहायक कम्पनियों की मारफत या किन्हीं बाह्य कम्पनियों के सहयोग से किए जा सकते हैं । आईएफसीआई का बोर्ड अधिनियम की धारा 8 के अधीन अथवा अन्यथा पंजीकृत किसी न्यास अथवा पंजीकृत सोसायटी या कम्पनी द्वारा स्थापित किसी कम्पनी या अपनी धारक कम्पनी या सहायक अथवा सहयोगी कम्पनी की मारफत सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलाप करने का निर्णय ले सकता है । बशर्ते कि:

- क) ऐसा न्यास, सोसायटी या कम्पनी, कम्पनी अथवा इसकी धारक कम्पनी या सहायक या सहयोगी कम्पनी द्वारा स्थापित न की गई हो और इसका ऐसे कार्यक्रमों या परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का तीन वर्षों का सुस्थापित ट्रैक रिकार्ड हो।

ख) कम्पनी ने इन संस्थाओं की मार्फत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना या कार्यक्रमों का निर्धारण, इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर निधियों का उपयोग करने की औपचारिकताओं तथा इनके लिए अनुवर्तन तथा रिपोर्टिंग प्रणाली का विशेष रूप से निर्धारण किया हो।

आईएफसीआई सीएसआर क्रियाकलापों, परियोजनाओं या कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर भी इस प्रकार कार्य कर सकता है, जिससे अन्य सम्बन्धित कम्पनियों की सीएसआर समितियां, सीएसआर निमयावली, 2014 में दिए गए अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर पृथक-पृथक रूप से सूचना दे सकें।

भारत में चलाई जा रही सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों पर किया जाने वाला खर्च सीएसआर व्यय माना जाएगा। ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों, जिनसे केवल कम्पनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवार लाभान्वित हों, उन्हें इस अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर क्रियाकलाप नहीं माना जाएगा।

आईएफसीआई अपने कार्मिकों को तथा कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के सुस्थापित ट्रेक रिकार्ड वाली संस्थाओं की मार्फत अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को सीएसआर कार्यों के लिए लगा सकता है, परंतु उन पर किया जाने वाला व्यय किसी एक वित्तीय वर्ष में कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई राशि को सीएसआर क्रियाकलाप नहीं माना जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन अनुसूची VII के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलाप आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के रूप में माने जाएंगे:

- i. भूख, गरीबी, कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य, स्वच्छता के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना
- ii. विशेष शिक्षा सहित शिक्षा तथा रोजगार को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ लोगों में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना तथा रोजगार बढ़ाने वाली परियोजनाओं का प्रवर्तन करना
- iii. स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर तथा होस्टल बनाना, वृद्धाश्रम, डे केयर सेन्टर बनाना तथा वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी अन्य सुविधाएं देना एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के बीच असमानता को कम करने के उपाय करना।
- iv. पर्यावरणीय निरन्तरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पति संरक्षण, जन्तु कल्याण, कृषिवानिकी, नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, हवा तथा पानी की गुणवत्ता बनाए रखना।
- v. राष्ट्रीय धरोहर, कला तथा संस्कृति का संरक्षण करना, जिसमें ऐतिहासिक महत्ता वाले भवनों तथा स्थलों एवं कला स्मारकों का संरक्षण करना शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पराम्परागत हस्तकलाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना।
- vi. सशस्त्र सेनाओं से बुजुर्गों, युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं और उनके आश्रित सदस्यों के कल्याण के लिए उपाय करना।

- vii. ग्रामीण खेल-कूद, राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त खेल-कूद, पैरालम्पिक तथा ओलम्पिक खेल-कूद को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण देना
- viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े हुए वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को राहत एवं उनके कल्याण के लिए के लिए स्थापित अन्य किसी निधि में अंशदान देना ।
- ix. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक संस्थानों में स्थित तकनीकीय इन्क्यूबेटर्स में अंशदान अथवा को प्रदत्त निधियां
- x. ग्रामीण विकास परियोजनाएं

## 5.2 प्राथमिकता कार्यक्रम, भौगोलिक क्षेत्र तथा कार्यान्वयन अनुसूची

### 5.2.1 प्राथमिकता कार्यक्रम

सीएसआर और निरन्तर चल रहे कार्यकलापों के लिए आबंटित बजट से लम्बी अवधि वाली, अधिकतम प्रभावकारी परियोजनाओं पर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा । इन लम्बी चलने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि को अनुमानित परिणामों तथा उनके प्रभाव को देखते हुए कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । लम्बी अवधि वाली परियोजनाओं की योजना बनाते समय प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का निर्धारण किया जाएगा तथा प्राप्त किए गए माइलस्टोंस के अनुसार क्रमबद्ध रूप से परियोजना के पूरा होने तक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी । सीएसआर क्रियाकलापों की प्रगति का निर्धारण प्राप्त किए गए वार्षिक लक्ष्यों तथा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित क्रियाकलापों तथा लक्ष्यों के लिए उनके वार्षिक बजट के उपयोग के आधार पर किया जाएगा ।

सीएसआर क्रियाकलापों तथा व्यवहार्य परियोजनाओं के चयन या चुनाव में आईएफसीआई तदर्थ, एकमुश्त, लोकोपकारी क्रियाकलाप करने से बचेगा । तथापि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े हुए वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को राहत एवं उनके कल्याण के लिए के लिए स्थापित अन्य किसी निधि में अंशदान एक वैध सीएसआर क्रियाकलाप माना जाएगा ।

आईएफसीआई ऐसे क्रियाकलाप करने से भी बचेगा जो स्पष्टतया आदेशात्मक रूप से सरकार द्वारा किए जाने हैं और/अथवा जिनके लिए केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं को मंजूरी दी चुकी है क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा । लेकिन आईएफसीआई ऐसी लक्ष्यों/प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों में निधिक सहयोग दे सकता है ।

यदि सीएसआर क्रियाकलापों के लिए अलग से रखी गई निधियों का उपयोग किसी वित्तीय वर्ष में बनाई गई योजनाओं के अनुसार नहीं किया जाता तो सीएसआर समिति निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से उपयोग न की गई निधियों का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान कर सकता है ।

वर्ष 2014-15 के लिए निम्लिखित प्राथमिकता क्षेत्र माने गए हैं, जो नीचे तालिका में दिए गए हैं:

आईएफसीआई का दृष्टिकोण	वर्ष 2014-15 के लिए प्राथमिक कार्यक्रम/परियोजनाएं	दी जाने वाली निधियों का प्रतिशत	अनुसूची VII क्षेत्र
	बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा		

मानव पूंजी के विकास का प्रवर्तन	देना, रोजगार प्राप्त करने की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने तथा आजीविका में वृद्धि करने वाली परियोजनाओं का प्रवर्तन	40 प्रतिशत तक	(ii)
	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक संस्थाओं में स्थित तकनीकी इनक्यूबेटर्स के लिए अंशदान या निधियां		(ix)
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का प्रवर्तन	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	15 प्रतिशत तक	(x)
चल रहे विकासात्मक क्रियाकलापों का प्रवर्तन	पर्यावरणीय निरन्तरता, पारिस्थितिक संतुलन, कृषिवानिकी और नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षण तथा मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना ।	25 प्रतिशत तक	(iv)
अन्य कल्याणकारी क्रियाकलाप	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII के अधीन अन्य कोई क्षेत्र	15 प्रतिशत तक	

ऊपर निर्धारित प्राथमिकता कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के दौरान खर्च की जाने वाली निधियों की पांच प्रतिशत राशि का उपयोग आईएफसीआई के सीएसआर क्रियाकलाप करने वाले कार्मिकों तथा कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के सुस्थापित ट्रेक रिकार्ड वाली संस्थाओं की मार्फत कार्यान्वयन एजेंसियों पर किया जा सकता है ।

वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति द्वारा अनुपालन अपेक्षाओं के अधीन प्राथमिकता कार्यक्रमों/परियोजनाओं (आबंटित बजट सहित) में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

### 5.2.2 भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि आईएफसीआई द्वारा वित्तपोषित संस्थाएं समग्र भारत में व्यापक रूप से परिचालनरत हैं और प्रमुख रूप से वित्तीय क्षेत्र सेवाओं में कार्यरत होने के कारण आईएफसीआई के पास कोई पारिभाषित भौगोलिक अवधारणा क्षेत्र नहीं है । तथापि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां आईएफसीआई के कार्यालयों के रूप में इसकी उपस्थिति है।

### 5.2.3 कार्यान्वयन एजेंसियों का ड्यू डिलिजेंस

बाह्य एजेंसियों को शामिल या उनके साथ काम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन सुविज्ञ एजेंसियों का चयन किया जाए जिनके पास सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यक दक्षता और सुविज्ञता हो । ऐसी एजेंसियों की व्यवहार्यता, निष्ठा और व्यावसायिक क्षमता का सत्यापन भी किया जाना चाहिए । कर छूट प्राप्त एजेंसियों को निधियां प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए । कार्यान्वयन भागीदारों की उपयुक्तता के आकलन के लिए एक मूल्यांकन मैट्रिक्स तैयार की जाए । निधियों के संवितरण से पूर्व सीएसआर समिति द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों, यदि कोई हों, का अनुमोदन किया जाए । अपने (आंशिक या पूर्ण रूप से), आईएफसीआई के किसी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों या

किसी निदेशक द्वारा व्यवस्थित किसी कार्यान्वयन भागीदार को किसी भी प्रकार की निधियां प्रदान नहीं की जाएंगी ।

## 6. कार्यान्वयन तथा अनुवर्तन

सीएसआर के अधीन चुने गए तथा निरन्तर किए जाने वाले क्रियाकलापों का कार्यान्वयन, जहां तक संभव हो, एक परियोजना के रूप में किया जाए, जिसमें योजनाबद्ध रूप से पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों का उल्लेख हो, संसाधनों की पूर्व अनुमानित मात्रा जुटाने तथा आर्बिट्रित बजटों तथा निर्धारित समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए । इसमें कार्यान्वयन के कार्य से जुड़े हुए पदनामित अधिकारियों/एजेंसियों के दायित्व तथा जवाबदेही का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ।

अभिनिर्धारित प्रमुख निष्पादन संकेतकों की मदद से आवधिक रूप से अनुवर्तन किया जाएगा; इसकी अवधि का निर्धारण व्यापक रूप से कार्य-निष्पादन संकेतकों के स्वरूप पर आधारित होगा । अनुवर्तन कार्य-प्रणाली में आवधिक रूप से सूचनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके साथ कार्यान्वयन के दौरान निवारक उपाय, जब कभी अपेक्षित हों, भी शामिल किए जाएं ।

वास्तविक संवितरण परियोजना की प्रगति पर आधारित होगा ।

### 6.1 मूल्यांकन तथा इसके प्रभाव का आकलन

निष्पक्षता तथा पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन का कार्य किसी स्वतन्त्र बाह्य एजेंसी को सौंपा जा सकता है । यह उचित होगा कि एजेंसी की सेवाएं परियोजना के आरम्भ होने से पूर्व आवश्यकता निर्धारण अध्ययन करने, अनुवर्तन का कार्य करने और परिणाम का समग्र मूल्यांकन करने के लिए ली जाएं । तथापि, जब कभी आईएफसीआई द्वारा सीएसआर और निरन्तरता क्रियाकलाप किए जाते हैं तो अनुवर्तन कार्यों के लिए किसी बाह्य एजेंसी का सहयोग लेना अनिवार्य होगा क्योंकि यह कार्य की प्रगति का निष्पक्ष आकलन करने में सक्षम होगी और परियोजना के बीच किन्हीं निवारक कार्य, यदि अपेक्षित हों, करने में मदद करेगी ।

किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप और निरन्तरता क्रियाकलाप/परियोजना की सफलता का एकमात्र परिणाम समाज, अर्थव्यवस्था अथवा परिवेश पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर निर्भर करता है । प्रत्येक सीएसआर क्रियाकलाप की योजना एवं उसका कार्यान्वयन समाज या पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके प्रत्याशित प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है । यह ऐसे पूर्वाभास तथा अपेक्षित प्रभाव से विपरीत होगा कि एक पूरा हो चुका क्रियाकलाप/परियोजना को उसकी सफलता या असफलता की डिग्री के पैमाने से मापा जाए । वास्तव में, प्रभाव आकलन के समय एक भली प्रकार से प्रलेखित एवं विस्तृत आधारभूत सर्वेक्षण या आवश्यकता निर्धारण अध्ययन क्रियाकलाप के आरम्भ होने के समय ही किया जाए और इसके आंकड़े तुलना के प्रयोजन से तुरन्त उपलब्ध होने चाहिए ।

सीएसआर क्रियाकलाप की प्रभावशीलता को कार्यान्वयन में प्रगति के विभिन्न स्तरों पर निर्धारित लक्ष्यों और ध्येयों के पूरा होने के साथ जोड़कर समझा जा सकता है । यद्यपि लक्ष्यों और प्रत्याशित परिणामों की उपलब्धि संतोष के विषय हो सकते हैं, परंतु आईएफसीआई अपने सीएसआर क्रियाकलापों और निरन्तरता कार्यकलापों के पूरे होने के बाद इसके प्रभाव का निर्धारण समाज/अर्थव्यवस्था/परिवेश पर पड़े प्रभाव के आधार पर कर सकता है ।

## 7. रिपोर्टिंग तथा प्रकटन

### 7.1 वार्षिक रिपोर्टिंग

पहली अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड की बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट विवरणों सहित एक वार्षिक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी ।

## 7.2 कम्पनी की वेबसाइट

आईएफसीआई का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के लिए सीएसआर पॉलिसी का अनुमोदन करेगा और अपनी रिपोर्ट में ऐसी पॉलिसी की विषय-वस्तु को प्रकट करेगा तथा इसे अनुबन्ध में निर्दिष्ट विवरणों के अनुसार कम्पनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

## 8. अनुबन्ध

### बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र बोर्ड की रिपोर्ट

1. की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं/कार्यक्रमों पर अवलोकन और सीएसआर पॉलिसी और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वैब लिंक के संदर्भ सहित कम्पनी की सीएसआर पॉलिसी की संक्षिप्त रूपरेखा
2. सीएसआर समिति की संरचना
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का निवल औसत लाभ
4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर क्रियाकलापों पर खर्च की गई राशि के विवरण
  - (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि
  - (ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो
  - (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका निम्नलिखित विवरण में दिया जाए:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	निर्धारित की गई सीएसआर परियोजना या क्रियाकलाप	परियोजना का क्षेत्र	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए जाने थे	परियोजना या कार्यक्रम-वार राशि का व्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्षः (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) प्रासंगिक व्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी की मार्फत
1							
2							
3							
	कुल						

कार्यान्वयन एजेंसी के विवरण दिए जाएं:

6. यदि कम्पनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल औसत लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में असफल रहती है तो कम्पनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण देने होंगे ।
7. सीएसआर समिति की एक जवाबदेही विवरण रिपोर्ट कि सीएसआर पॉलिसी का कार्यान्वयन और अनुवर्तन, कम्पनी की पॉलिसी और सीएसआर उद्देश्यों के अनुसार किया जा रहा है ।

ह/-	ह/-	ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबन्ध निदेशक या निदेशक)	(सीएसआर समिति का अध्यक्ष)	(अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति (जहां लागू हो)

